

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(18)नविवि/3/2011

जयपुर दिनांक: 18-02-2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाए गए राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम-4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना दिनांक 31.12.2013 द्वारा अधिसूचित बड़ी सादड़ी के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन किया जा चुका है। नगर पालिका बड़ी सादड़ी के मण्डल बैठक की अनुशंसा व संबंधित विभागों की रिपोर्ट के क्रम में वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की नगर सुधार अधिनियम की धारा-5(1) के अधिसूचना दिनांक 26.04.2021 में बड़ी सादड़ी के नगरीय क्षेत्र में उल्लेखित प्रस्तावित भू-उपयोग संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त संशोधित बड़ी सादड़ी मास्टर प्लान-2031 के संशोधित भू-उपयोग योजना मानचित्र के पार्ट प्लान की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, बड़ी सादड़ी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से



(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बड़ी सादड़ी।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रालयी।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय